समाहरणालय, दरभंगा।
(आपूर्ति शाखा)

दिनांक–26.11.2016 को जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति (खरीफ विपणन मौसम 2016–17) संबंधी टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही की शुरूआत में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की गठन निम्नप्रकार करने का निर्णय लिया गया :–

1. जिलाधिकारी, दरभंगा (अध्यक्ष)।
2. अपर समाहर्त्ता, दरभंगा (नोडल पदाधिकारी)।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा (सदस्य सचिव)।
4. जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा (सदस्य)।
5. जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा (सदस्य)।
6. जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा (सदस्य)।
7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा (सदस्य)।
8. प्रबंधक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक (सदस्य)।
9. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल (विशेष आमंत्रित सदस्य)।

- सर्वसम्मति से श्री शंकर शरण ओमी, वरीय उपसमाहर्त्ता, दरभंगा को खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के अधिप्राप्ति कार्य हेतु वरीय उपसमाहर्त्ता अधिप्राप्ति के रूप में नामित किया गया।
- वरीय उपसमाहर्त्ता अधिप्राप्ति/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी ऑनलाईन निबंधित सभी मिलों का भौतिक सत्यापन विहित प्रपत्र में करते हुये दिनांक–30.11.2016 तक प्रतिवेदन देंगे ताकि जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स से अनुमोदन कराया जा सके।
- धान अधिप्राप्ति/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति हेतु पदाधिकारी/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई तथा निर्णय लिया गया कि पूर्व वर्ष के प्रतिनियुक्ति के अनुसार इस वर्ष भी सी0एम0आर0 क्रय संग्रहण प्रभारी के रूप में प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षकों तथा राज्य खाद्य निगम, बिहार पटना से प्राप्त हानेवाले तीन गुणवत्ता नियंत्रक एवं कर्मी के रूप में राज्य खाद्य निगम के कार्यपालक सहायक/4G ऑपरेटर को प्रतिनयुक्त करनें का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत कुल पैक्स 330 में से 205 का अंकेक्षण कराया गया है जिसको अधिप्राप्ति कार्य के आदेश दिया जाना है। उन्होंने बताया कि कुल 18 व्यापार मंडल में से मात्र 2 की अंकेक्षण हो सका है। अतः निदेश दिया गया कि अवशेष पैक्सों एवं व्यापार मंडलों का क्रमशः दो सप्ताह एवं एक सप्ताह में अचूक रूप से अंकेक्षण कराते हुये अधिप्राप्ति कार्य कराने के लिये जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स के अनुमोदन हेतु भेजना सुनिश्चित करें।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि गबन में लिप्त/प्राथमिकी दर्ज पैक्सों/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्ति कार्य नहीं कराया जाना है। पिछले अधिप्राप्ति वर्ष 2015–16 में जो पैक्स अधिप्राप्ति की गई धान का मिलिंग कराकर सी0एम0आर0 उपलब्ध नहीं करा सके थे परन्तु राशि जमा कर दिये थे वैसे पैक्स को अधिप्राप्ति कार्य में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स के अनुमोदन के उपरान्त अधिप्राप्ति कार्य में लगाया जाना है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी पैक्सों पर विशेष निगरानी रखते हुये किसानों से पैक्स द्वारा अधिप्राप्ति की गई धान का सी0एम0आर0 ससमय प्राप्त कर लिया जाय।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स से योग्य पैक्सों को अधिप्राप्ति हेतु अनुमोदन के उपरान्त यथाशीघ्र Cash Credit Sanction करेंगे।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसानों का निबंधन ऑनलाईन कराया जा रहा है तथा अभी तक 1304 किसानों का निबंधन ऑनलाईन किया जा चुका है। उक्त के संबंध में निदेश दिया

28.11.16

गया कि किसानों के निबंधन में तेजी लाते हुये अधिक उत्पादन को देखते हुये पिछले वर्ष से ज्यादा किसान का निबंधन सुनिश्चित किया जाय तथा किसानों की सूची को पैक्स के दिवालों पर प्रदर्शित किया जाय।

- जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी पैक्स के क्रय केन्द्र पर बैनर, पंजी, प्रतिनियुक्त कर्मी की सूची, किसानों की पावती रसीद आदि का भी व्यवस्था पैक्सों द्वारा सुनिश्चित करवाया जाय।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमानुसार निबंधित किसान एवं बटाईदारों की सूची पैक्सवार पैक्स के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करायेंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि निबंधित किसान से अधिकतम 150 क्वीं0 तथा बटाईदार से अधिकतम 50 क्वीं0 धान की ही खरीददारी की जाय। सभी बटाईदार से स्वघोषणा पत्र प्राप्त करते हुये बटाईदार का सत्यापन किसान सलाहकार के माध्यम से करना सुनिश्चित कराया जाय।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पैक्स के पास 78 गोदाम पूर्ण है तथा 14 गोदाम निर्माणाधीन है। अतः निदेश दिया गया कि जी0पी0एस0युक्त मोबाईल से सभी पैक्स के गोदाम का फोटो बनाकर अपलोड करें तथा एलबम में भी सुरक्षित रखें। जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि सभी मिलरों के स्मार्ट मोबाईल में भी अधिप्राप्ति एप्स डाउनलोड करवायें ताकि ससमय निगरानी रखी जा सके।
- समीक्षा के मध्य में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा द्वारा अधिप्राप्ति कार्य के तैयारी के संबंध में बताया गया कि 3 लाख गन्नी बैग्स की आवश्यकता होगी परन्तु वर्तमान में 2.5 लाख उपलब्ध है। सहायक गोदाम प्रबंधक, हायाघाट को गुणवत्ता नियंत्रक का प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त है, परन्तु सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की अधिकता को देखते हुये जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि कम से कम एक गुणवत्ता नियंत्रक सभी अनुमंडल में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
- जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि सभी सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र का जी0पी0एस0युक्त मोबाईल से (अक्षांश देशांतर सहित) फोटो लेकर अपलोड किया जाय।
- जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि राज्य खाद्य निगम के हित में मिलों को न्यूनतम दूरी पर अवस्थित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र के साथ सम्बद्ध करेंगे ताकि परिवहन की लागत कम हो। साथ ही निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में एक ही परिसर पर अवस्थित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र से टी0पी0डी0एस0 के गोदाम पर सी0एम0आर0 न लाकर सीधे सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र से सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा सी0एम0आर0 संग्रहण प्रभारी के उपस्थिति में डोर स्टेप के माध्यम से जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सी0एम0आर0 (चावल) निर्गत करेंगे।
- जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की निर्गत की जानेवाली सी0एम0आर0 की विवरणी सहायक गोदाम प्रबंधक के मुख्य पंजी के साथ एक अन्य विशिष्ट सी0एम0आर0 की पंजी में भी दर्ज करवायेंगे ताकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को दिये गये सी0एम0आर0 तथा लाभुकों के बीच वितरण का सत्यापन अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किया जा सके।
- जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा दैनिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिलाधिकारी के अवलोकनार्थ संध्या 6.00 बजे तक उपस्थापित करेंगे।
- सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल स्तर तथा प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर प्रतिदिन अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करेंगे।
- सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे स्वयं अपना तथा अपने अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारियों का लघु एवं दीर्घ हस्ताक्षर का नमूना प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी--सह--प्रखंड अधिप्राप्ति पदाधिकारी को दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि हस्ताक्षर के नमूना को पैक्स को उपलब्ध कराया जा सके।
- सभी अंचल अधिकारी को उनके अंचल क्षेत्र के लिये इन्फोर्समेन्ट पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) निर्गत करने के समय इस बात की ध्यान रखा जाय कि परिवार के जमीन का वास्तविक भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र ही निर्गत किया

25/11/16

जाय। उदाहरण स्वरूप अगर किसी एक परिवार में चार भाई एवं एक एकड़ धनहड़ जमीन हो तो सभी सदस्य मिलाकर भी एक एकड़ भूमि का ही भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय।

- जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2016–17 में धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु अनुमानित धान उत्पादन का पंचायतवार उपज संबंधी प्रतिवेदन तथा अच्छादित रकवा से संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर जिला आपूर्ति कार्यालय, दरभंगा को उपलब्ध कराया जाय ताकि अधिप्राप्ति संबंधी कार्यों का निगरानी एवं नियंत्रण प्रभावी ढंग से किया जा सके।
- जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स से अनुमोदित पैक्स का निकटतम मिल से टैगिंग जिला सहकारिता पदाधिकारी करेंगे।
- खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य धान साधारण 1470/– रू0, धान ग्रेड (ए) 1510 /– रू प्रति क्वीं0 होगा।
- अग्निशमन विभाग को निदेश दिया जाता है कि अधिप्राप्ति से संबंधित मिल/पैक्स का क्रय केन्द्र/सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन को भेजना सुनिश्चित करेंग।
- समीक्षात्मक बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि प्रति सप्ताह (मंगलवार के दिन) जिला कृषि टास्क फोर्स के बैठक के बाद अपराह्न 4.00 बजे से जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जायेगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0—

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 10 (आ) /जि0आ0, लहेरियासराय, दिनांक – 26/11/2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप निदेशक खाद्य, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/ जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा/क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, दरभंगा/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड एवं अंचल के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला अग्निशामक पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी क्रय केन्द्र प्रभारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं सम्यक रूप से आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/11/16

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

26.11.16